न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

कैलाश मीना बनाम मदनलाल

किस्म मुकदमा धारा - 224 मि.नं. 2022/37 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री हेमेन्द्र विजय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री रामकल्याण शर्मा
श्रीमती सुलोचना शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.4.24	अभिभाषक अपीलान्ट / रेस्पोडेन्ट ~~उपस्थित~~ अनुपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.4.24 को पेश हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
30.4.24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से बहस हेतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट पूर्व में भी बहस हेतु दिनांक 11.3.24, 8.4.24 तथा 29.4.24 को अनुपस्थित रहे हैं। अतः अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय– राजस्व अपील अधिकारी पदेन भूप्रबंधक अधिकारी कोटा, राज0

केलाश मीणा पुत्र श्री गोपीलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी तहसील एवं जिला कोटा राज0 हाल निवासी कालेज रोड राजश्री एन्टरप्राईजेज के सामने बांरा, राज0 मो0 न0 6376031209 ...अपीलान्ट

– बनाम –

(1) मदनलाल पुत्र रामकल्याण उर्फ कल्याण, जाति किराड, निवासी ग्राम बडा तहसील एवं जिला बांरा, राज0

(2) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बांरा, राज0 .....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा जिला बांरा, निर्णय दिनांक 26.01.2021 प्रकरण सं.31/19 अन्तर्गत धारा.225.राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलान्ट सादर निवेदन करता है–

(1) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत है।

(2) यह कि ग्राम मेलखेडी तहसील एवं जिला बांरा की ख0 नं0 247 की कृषि आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन निर्धारित करते हुये अपीलान्ट को ख0 नं0 247 की कृषि भूमि पर जाने से पाबन्द किया है।

(3) यह कि स्वयं वादी/रेस्पोडेन्ट यह जानता था की भूमि पर विधिक स्वीकृत कब्जा अपीलान्ट का है जिससे वाद बेदखली कराने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। यानि बेदखली का वाद किया है। बेदखली के बाद क साथ धारा 212 राज0 काश्तकारी